(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक आर0एन0 91–पीबीआर/1996 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–8–1996 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 483/1995–96/निगरानी.

1. शेरू पिता बक्षुजी, नायता
2. अगबर पिता बक्षुजी, नायबता
   निवासी ग्राम आंट तहसील व
   जिला देवास

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

फकरू पिता अबजी, नायता
निवासी ग्राम आंट तहसील व
जिला देवास

–––––अनावेदक

– – – – – –

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 08 दिसम्बर 2015)

– – – – –

आवेदकों द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 14–8–1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय में आवेदन पेश किया कि ग्राम ओट स्थित भूमि सर्वे कमांक 101 में कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु स0न0

100 तथाा 99/1, 99/2, 99/3 में से होकर सरकारी रास्ता देवास नखल रोड पर से जाता है यह रूढिगत रास्ता आवेदकगण द्वारा टपरी बनाकर रोक दिया है, उसे खुलवाया जाये। तहसीलदार देवास ने आदेश दिनांक 7–6–96 द्वारा रास्ता खोलने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध आवेदकगण ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 5–7–96 के द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि अधीनस्थ न्यायालय रूढिगत मार्ग के सम्बन्ध में बने नियम के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पुनः विवेचन करे तथा गुण–दोष के आधार पर निर्णय पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 14–8–1996 के द्वारा निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य कर अनावेदक को नोटिस जारी करने एवं अभिलेख मंगाने तथा अंतरिम रूप से रास्ता खोलने के आदेश दिये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अपर आयुक्त ने अंतरिम रूप से रासता खुलवाने का आदेश प्रदान करने में वैधानिक त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि तहसील न्यायालय के जिस आदेश को आधार बनाकर अंतरिम आदेश प्रदान किया है, उस आदेश में भी रास्ते का कोई स्पष्ट विवरण नहीं तथा मकान बने हुये हैं यह स्पष्ट निष्कर्ष तहसील न्यायालय के आदेश में भी दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश उचित नहीं है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस प्रकार से मार्ग के संबंध मे आदेश प्रदान

किया है उससे अनावेदक की फसलें एवं मकान को क्षति पहुंचती है। मार्ग किस स्थान से प्रारंभ होगा एवं कहा समाप्त होगा, कितना चौड़ा होगा, इसका कोई खुलासा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में नहीं है। अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क किया कि प्रकरण में अपर आयुक्त ने प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाकर अनावेदक को नोटिस एवं अभिलेख मंगाये जाने के आदेश दिये है। मौके पर अनावेदक की फसल खडी है जिसकी देख रेख हेतु आने में कठिनाई न हो इसलिए अंतरिम रूप रास्ते को खोलने के आदेश दिये हैं। यह भी तर्क किया कि अपर आयुक्त न्यायालय में गुण—दोष पर निरारण होना बाकी है। अतः यह निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के साथ उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसमें अनावेदक द्वारा मौके पर खडी फसल के निदाई—गुढ़ाई आदि कार्य हेतु मार्ग अवरूद्ध होने से अपर आयुक्त ने रास्ता खोलने के आदेश दिये तथा प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया और अनावेदक को सूचना जारी करने एवं अभिलेख मंगाने के आदेश दिये। तत्पश्चात आवेदकगण ने अपर आयुक्त न्यायालय में उपस्थित न होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जबकि उन्हें आगामी पेशी पर अपर आयुक्त न्यायालय में उपस्थित होकर स्थगन को निरस्त करने अथवा आपत्ति आदि की कार्यवाही करनी चाहिए थी। आवेदकगण ने अपर आयक्त के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है। इस न्यायालय निगरानी लगभग 20 वर्षों

से प्रचलित है। इसके अतिरिक्त द्वितीय अपील प्रकरण में अपर आयुक्त न्यायालय में गुण–दोष पर निराकरंण होना शेष है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन का प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर